

प्ररूप संख्या 40

[नियम 74 देखें]

अधिनियम की धारा 158 के अधीन अधिसूचित देश में संधारित सेवानिवृत्ति लाभ खाते से
प्राप्त आय पर कराधान से राहत हेतु विकल्प का प्रयोग

भाग-क			
1	निर्दिष्ट व्यक्ति का विवरण		
	(i)	नाम	(टिप्पण 1 निर्दिष्ट)
	(ii)	पता	(टिप्पण 2 निर्दिष्ट)
	(iii)	स्थायी खाता संख्या	
	(iv)	ई-मेल आईडी	
	(v)	संपर्क संख्या	देश का कोड
2.	उस कर वर्ष के संबंध में जिसमें विकल्प का उपार्जन किया जा रहा है		वर्ष-वर्ष
भाग-ख			
3.	विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा आयोजित सभी निर्दिष्ट खातों का विवरण		
	क.	विनिर्दिष्ट खाते का विवरण	
	i.	खाता संख्या	
	ii.	सेवानिवृत्ति निधि का नाम	
	iii.	अधिसूचित देश का नाम (कृपया एक का चयन करें)	1. कनाडा 2. संयुक्त राज्य अमेरिका 3. ब्रिटेन 4. अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें
	iv.	वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को खाता शेष, जिसके कर वर्ष से पूर्व यह प्ररूप भरा जा रहा है	
	v.	खाता खोलने की तारीख	दिन/माह/वर्ष
	vi.	अधिसूचित देश में निर्दिष्ट खाते से प्राप्त आय पर कराधान के प्रकार का स्पष्ट उल्लेख करें (कृपया एक विकल्प चुनें)	a. अर्जित आधार b. प्राप्ति आधार c. अन्य आधार, कृपया स्पष्ट करें
	vii.	वह कर वर्ष निर्दिष्ट करें जिसमें निर्दिष्ट खाते से प्राप्त आय की निकासी योग्य हो	
	viii.	आय का वर्गीकरण	a. वेतन b. ब्याज

	(एक अथवा अधिक विकल्प चुनें)	c. लाभांश d. अन्य, कृपया स्पष्ट करें		
x.	निर्दिष्ट खाते से प्राप्त वह आय, जो नियम 74(2)(क) के संदर्भ में ऐसी आय के किसी पूर्व कर वर्ष की आय में पहले ही सम्मिलित की जा चुकी हो			
x.	कृपया वह कर वर्ष अथवा कर वर्षों का उल्लेख करें, जिनमें उपर्युक्त (ix) में निर्दिष्ट रकम सम्मिलित की गई है	कर वर्ष	क्या आय-कर विवरणी प्रस्तुत की गई है	स्वीकृति संख्या
			हाँ/नहीं	
			हाँ/नहीं	
xi.	निर्दिष्ट खाते से प्राप्त आय की रकम जो नियम 74(2)(ख) में उल्लिखित कारणों से भारत में करयोग्य नहीं थी			
ii.	कर वर्ष या वर्षों का उल्लेख करें जिनमें (xi) में उल्लिखित रकम निर्दिष्ट व्यक्ति के "अग्रहस्थ" या "सामान्यतः अग्रहस्थ न होने" के आधार पर मुक्त है	क्रम संख्या	आय रकम	
			र्ष	
		(क)		
		(ख)		
ख.	आवश्यकतानुसार पुनः दोहराएं			
4.	इस्तेमाल किए जा रहे विकल्प का विवरण –			
	उपरोक्त पंक्ति 3 में निर्दिष्ट खातों में संचित आय को उस कर वर्ष की समग्र आय में सम्मिलित किया जाएगा, जिस वर्ष उक्त निर्दिष्ट खाते से प्राप्त आय अधिसूचित देश में निकासी या विमोचन के समय कराधीन या करयोग्य थी (कृपया एक विकल्प चुनें)	1. हाँ 2. नहीं		
5.	अन्य विवरण पृथक उपाबंध के रूप में प्रस्तुत करें:		धारा 4 के अनुसार संलग्न करें	
घोषणा मैं _____ (नाम), स्थायी खाता संख्या _____ धारक, घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने उपरोक्त पंक्ति 3 में उल्लिखित सभी निर्दिष्ट खातों के लिए विकल्प का प्रयोग किया है। मैं समझता/समझती हूँ कि उक्त विकल्प, एक बार किसी कर वर्ष के लिए प्रयोग किए जाने के बाद,				

इस कर वर्ष या किसी भी आगामी वर्ष के लिए वापस नहीं लिया जा सकता है। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है।

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षर

नाम

टिप्पणी :-

1. व्यक्ति के मामले में, प्रथम, मध्य एवं अंतिम नाम पूर्णतः लिखित बिना किसी संक्षिप्ति के प्रदान किया जाना आवश्यक है। अन्य किसी भी स्थिति में, नाम पूर्ण रूप में ही प्रदान किया जाना चाहिए।
2. पते में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :
 - i. देश/क्षेत्र,
 - ii. फ्लैट/मकान/भवन,
 - iii. सड़क/सड़क/ब्लॉक/सेक्टर,
 - iv. पिन/जिप कोड,
 - v. डाकघर,
 - vi. क्षेत्र/इलाका,
 - vii. जिला,
 - viii. राज्य
3. कर वर्ष के संबंध में, जैसा कि पंक्ति संख्या 3 में निर्दिष्ट है, एक बार विकल्प प्रयुक्त किया गया हो, वह नियम 74(3) के अधीन सभी आगामी वर्षों पर लागू होगा।
4. निम्नलिखित विवरण उपाबंध के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे, अर्थात्:-

उपाबंध	विवरण
अ-1	निहित विवरणों वाले निर्दिष्ट खाते के विवरण का एक प्रतिलिपि- i. सभी निर्दिष्ट खातों के खाते की संख्या; ii. अधिसूचित देश जिसमें उक्त खाता खोला गया हो; एवं

	iii. इस प्ररूप संख्या 40 के प्रस्तुत किए जाने वाले कर वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष की अन्तिम तारीख को निर्दिष्ट खाते में शेष रकम।
अ-2	दस्तावेजी साक्ष्य जो यह स्पष्ट करें कि निर्दिष्ट खाते से प्राप्त आय अधिसूचित देश में किस प्रकार कराधीन या कराध्येय है। अधिसूचित देश के प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान या अन्य कोई प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न किया जा सकता है।
अ-3	उन सभी कर वर्षों [जैसा कि पंक्ति संख्या 3(ix) में निर्दिष्ट है] के लिए आय की गणना जिनमें निर्दिष्ट खाते से प्राप्त आय को कुल आय में पहले ही सम्मिलित किया जा चुका है। उक्त कर वर्षों के लिए आय विवरणी के साथ इस गणना का समन्वय करना अनिवार्य है। आय की गणना का समन्वय विवरण [पंक्ति संख्या 3(ix) के अनुसार] इस प्ररूप के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से निर्दिष्ट न हो, रकम ₹ में भरनी होगी।